5

29/07/2021 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उम्मेदसिंह उप.।
अधिवक्ता उम्मेदसिंह की पत्रावली पर बहस
सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस
करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई
का समुचित अवसर नहीं दिया गया।
अपीलांटगण को क्षति पहुंचाने की
नियत से हस्तगत आवेदन अधीनस्थ
न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
प्रार्थी / रेस्पोंडेंटस के पास रास्ता उपलब्ध
होते हुए भी नये रास्ते की मांग

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई जो आवश्यक नहीं है। रेस्पो. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हो इसके उपरांत भी न्यायालय द्वारा रेस्पो. को प्रस्तावित रास्ता दिया जाता है तो अपीलांटगण को क्षतिपूर्ति के बदले भूमि इसी खसरे के लगती दी जावे तो अपीलांटगण प्रस्तावित रास्ता देने हेतु सहमत हो अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण रेस्पो. को प्राप्त रास्ते में मेन-केन प्रकारेण अवरोध डालना चाहते है अपीलांटगण को माहहते अदालत के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति राशि सरकार के खाते में जमा करवा दी गई है। यदि न्यायालय द्वारा अपीलांटगण क्षतिपूर्ति स्वरूप जमीन देने के आदेश पारित किये जाते है तो रेस्पोडेंटगण, अपीलांटगण को मुआवजे के तौर पर खसरा संख्या 16 की भूमि की जगह खेत खसरा संख्या 791/92 रकबा 2.3148 हैक्टर की भूमि मे से	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि देने के लिये सहमत है जो अपीलांटगण के खातेदारी खेत नं. 790/92 रकबा 2.1125 हैक्टर की भूमि से जुड़ती भूमि है। क्योंकि खसरा संख्या 16 में रेस्पोंडेंटगण के परिवार द्वारा रहवास किया जा रहा है जिससे मौके पर रहवास के रूप में अधिक भूमि उपयोग उपयोग में लिये जाने से रेस्पोडेंटगण के काश्त हेतु कम भूमि हिस्से में रहने से, काश्त की भूमि कम हो जायेगी। अतः रेस्पोडेन्ट के निवेदन को स्वीकार फरमाया जाकर अपील का निस्तारण फरमाया जावे।
	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण रास्ते में जा रही भूमि के बदले क्षतिपूर्ति स्वरूप भूमि देने पर निस्तारण किया जा सकता है अपीलांटगण ने अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 18 के लगती क्षतिपूर्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे भूमि देने का निवेदन किया है. ने क्षतिपूर्ति मे भूमि अन्य खसरों मे देने का निवेदन किया उसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि रास्ते में जिस किस्म की भूमि जा रही है उसी किस्म की भूमि दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः अपीलांटगण के निवेदन में अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर / उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22/03/2021 मे संशोधन कर क्षतिपूर्ति स्वरूप भूमि देने के लिए खसरा 15 में से प्रस्तावित रास्ते में जितनी भूमि जा रही है उतनी भूमि खसरा संख्या 18 के लगती दी जावे तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाता है की तदनुसार आदेश की पालना की जावे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति स्वरूप जमा करवाई राशि इनको पुनः लौटाई जावे पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश आज इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति लौटाया जावे	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर